

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :- ग्रामीण 55/24

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
बैंक ऑफ बडौदा शाखा पाल रोड, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार थालोड		<ul style="list-style-type: none">● मैसर्स जिनेश डाईग प्रो. अनिता देवी जिन्दल एफ-550, रोड न. 8 एम.आई.ए सैकण्ड फेंस, बासनी, जोधपुर● अनिता देवी जिन्दल पत्नी धमेन्द्र कुमार मकान न. 3-आई-66, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर● पिकी अग्रवाल पत्नी भरत कुमार जिन्दल मकान न. 3-आई-66, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश दिनांक :- 08.07.2024

उपस्थिति :-

1-श्री विरेन्द्र सिंह इन्दा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स जिनेश डाईग प्रो. अनिता देवी जिन्दल व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 36,00,000/- मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण पिकी अग्रवाल पत्नी भरत कुमार जिन्दल की जायदाद मकान न. 3-आई-66, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर ग्रामीण क्षेत्रफल 42.750 वर्गमीटर, जिसके उत्तर में मकान संख्या 3 आई 65, दक्षिण में मकान संख्या 3 आई-67, पूर्व में रोड 30 फुट, पश्चिम में आवासन मण्डल की ओपन जमीन आया हुआ को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के

Handwritten signature

जोधपुर जिला मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) का.

पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 28.10.2023 तक 37,38,488.52/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्मलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 36,00,000/- मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 28.10.2023 तक 37,38,488.52/- रुपये वसूल किये जाने हैं। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष पिकी अग्रवाल पत्नी भरत कुमार जिन्दल द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद पिकी अग्रवाल पत्नी भरत कुमार जिन्दल की जायदाद मकान न. 3-आई-66, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर ग्रामीण क्षेत्रफल 42.750 वर्गमीटर, जिसके उत्तर में मकान संख्या 3 आई 65, दक्षिण में मकान संख्या 3 आई-67, पूर्व में रोड 30 फुट, पश्चिम में आवासन मण्डल की ओपन जमीन आया हुआ का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्मलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 08.07.2024 को सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) कक्ष